मु० नम्बर 154/11 किस्म दीवानी ..... बनाम ..... उनवान शंकर कुमार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
	28/3/24 पत्रावली पेश/पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद। पत्रावली सूचीबद्ध दिनांक.....को पेश है। 9-4-24	
9/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकालत उपस्थित। प्रकरण सं० एस० 02/23, 02/24 पर उभयपक्ष वकील की मौखिक ही बहस सुनी। बहस पर मनन एवं एस० पायी कि प्रतिवादी की ओर से पक्षकार की गवाही है। एक वादी वकील को आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से तुम [illegible] प्रतिवादीगण, गवाही सं० 1 की तुम मुख्य उपस्थित कर० विपक्षी वादिनी कुमार पेश करें। पत्रावली वास्ते शंकर कुमार एस० हेतु दि० 12-5-24 को पेश हो।	
12/5/24	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं, प्रकरण में वादी व वादी वकील को बार-बार अवसर लगातार जाने के बावजूद भी वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण को वादी व वादी वकील आगे चलाये रखने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः आ० 7/47/11 दावा बिना पैरवी व अग्रिम डाकखर्च वसूल० अग्रिम पैरवी व अग्रिम डाकखर्च के खारिज किया जाता है। पत्रावली सेशन कुमार की जाकर नम्बरवार से कम करते हुए दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:11:51 IST
Reason: SelfAttested